उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

क.सं.	कार्यमद	कृषको को अनुमन्य सुविधायें/सेवाएं
1	कृत्रिम गर्भाधान सुविधा–पशुपालन विभाग के माध्यम से	₹60.00 प्रति कृत्रिम गर्भाधान शुल्क कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पर देय एवं ₹100.00 प्रति कृत्रिम गर्भाधान शुल्क पशुपालक के द्वार पर देय।
•	नेशनल डेरी प्लान प्रथम चरण के अन्तर्गत हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर जनपदों में उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता के होलस्टीन फ्रिजियन क्रासब्रेड साड़ों की प्रोजनी टेस्टिंग योजनान्तर्गत होलस्टीन फ्रिजियन क्रासब्रेड वीर्य से गायों का कृत्रिम गर्भाधान तथा चयनित गायों एवं होलस्टीन फ्रिजियन क्रासब्रेड वीर्य से उत्पन्न संतति के एक ब्यांत के दूध की रिकार्डिंग	चयनित होलस्टीन फ्रिजियन क्रासब्रेड गायों एवं होलस्टीन फ्रिजियन क्रासब्रेड वीर्य से उत्पन्न संतति जिनकी एक ब्यांत के दूध की रिकार्डिंग (माह में एक बार सुबह एवं सांय दूध की नापतोल, एक ब्यांत में कुल 20 दुहान की रिकार्डिंग) की जानी है, मिल्क रिकार्डिंग पूर्ण होने पर पशुपालकों को ₹1000.00 प्रति ब्यांत प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है।
2	**चारा विकास कार्यक्रम**	
•	काम्पैक्ट फाडर ब्लाक (14 किग्रा0 दुधारू भेली एवं 12 कि.ग्रा. राहत भेली) का वितरण	काम्पैक्ट फाडर ब्लाक ₹155.00 प्रति (दुधारू भेली) एवं ₹95.00 प्रति (राहत भेली) भुगतान पर, पशुपालन एवं डेरी विकास के द्वारा संचालित चारा बैंकों के माध्यम से आपूर्ति की जाती है।
•	यूरिया–शीरा–खनिज चाटन भेली (2.5 किग्रा0 प्रति चाटन भेली) का वितरण	₹40.00 प्रति 2.5 किग्रा0 चाटन भेली भुगतान पर पशुपालन एवं डेरी विकास के माध्यम से आपूर्ति।
•	हाईब्रीड नैपियर घास की रूट कटिंग तथा अन्य वैरायटी की घासों का वितरण	चारा नर्सरियों के माध्यम से पशुपालकों/संस्थाओं को ₹300.00 प्रति कुन्तल की दर से आपूर्ति
3	**पशुधन बीमा योजना**	
•	पशुधन (गाय एवं भैंस) बीमा योजना	सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित
•	चयन प्रक्रिया	एक पशुपालक के अधिकतम 5 बड़े पशुओं (दुधारू गाय/भैंस, पैक एनिमल यथा घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊट, टट्टू /अन्य पशुओं याक एवं मिथुन) अथवा 5 यूनिट छोटे पशुओं यथा–भेड़, बकरी, सुअर या खरगोश (एक यूनिट = 10 छोटे पशु) के बीमा का प्राविधान है।
•	बीमा अवधि	1 वर्ष एवं 3 वर्ष हेतु
•	प्रीमियम भुगतान प्रक्रिया	एपीएल लाभार्थी के पशुओं के बीमा प्रीमियम हेतु सामान्य क्षेत्र के लिए बीमा प्रीमियम राशि का 50% एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए 40% अंश तथा बीपीएल एससी/एसटी लाभार्थी के पशुओं के बीमा प्रीमियम में सामान्य क्षेत्र के लिए बीमा प्रीमियम राशि का 30% एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए 20% अंश पशुपालक द्वारा तथा शेष अंश भारत सरकार/राज्य सरकार के अनुदान से देय
•	लाभ	पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु व अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालकों को इससे होने वाली आर्थिक क्षति से बचाया जाना
•	स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्वरोजगार हेतु 4 माह का कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण